"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2005—आश्विन 25, शक 1927

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक /3425/डी-15/239/2004-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में संशोधन नियम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 11, 11-क तथा 12 सहपठित धारा 79 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है तथा एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान पश्चात् विचार किया जाएगा.

उक्त प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव जो किसी व्यक्ति द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, को कार्यालयीन समय में कक्ष क्रमांक-149 में प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन नियम प्रारूप

उक्त नियम में,—

नियम "17-क" के उपनियम (1) में शब्द "संभागायुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 17th October 2005

NOTIFICATION

No./3425/D-15/239/2004-05/14-3.—The following draft of Amendment to rule to the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Niyam, 1997, which the State Government propose to make in exercise of the power conferred by section 11, 11-a and 12 read with sub-section (1) and (2) of section 79 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is published as required by sub-section (1) of section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons. Likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of Publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objections or suggestions which may be received by the Secretary, Government of Chhattisgarh, Agriculture Department, Raipur during office hours at Dau Kalyan Singh Bhavan, Room No. 149 from any person with respect to the said draft before the period specified above shall be considered by the State Government .

AMENDMENT DRAFT RULES

In the Said Rule,—

In sub rule (1) of rule "17-a" for the words "Commissioner of Division" the words "State Government" shall be substituted namely.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.